भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5224
दिनांक 02.04.2025 को उत्तर देने के लिए

5वीं और 6वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों में जारी खनन पट्टे

5224. श्री राजकुमार रोत:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) देश में 5वीं और 6वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल राज्यों में जारी किए गए खनन पट्टों की राज्यवार संख्या कितनी है और इसके अंतर्गत कुल कितना क्षेत्रफल कवर किया गया है;
(ख) उक्त पट्टों में से राज्यवार कितने पट्टों में खनन कार्य चल रहा है और इससे कितना राजस्व अर्जित किया जा रहा है;
(ग) उक्त सभी खनन क्षेत्रों से राज्यवार कितने लोग विस्थापित हुए हैं और उन्हें कितनी-कितनी मुआवजा राशि दी गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों में किस प्रकार की भूमि के लिए खनन पट्टे जारी किए गए हैं;
(ङ) क्या पीईएसए अधिनियम के अंतर्गत उक्त खनन पट्टों के लिए ग्राम सभा की सहमति ली गई थी;
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और खनन पट्टा-वार ब्यौरा क्या है और उक्त सहमति का ब्यौरा क्या है; और
(छ) विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में वन भूमि और चारागाह भूमि पर खनन की अनुमति किन-किन प्रावधानों के अंतर्गत दी गई है और विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) देश में 5वीं और 6वीं अनुसूची क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल राज्यों में प्रमुख खनिजों के कुल खनन पट्टों की संख्या के साथ कुल पट्टा क्षेत्र और प्रचालनरत खानों की राज्यवार संख्या अनुलग्नक-I में दी गई है। खान और खनिज (विकास और विनियमन)

(एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, राज्य सरकारों को अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में अवस्थित खनिजों के लिए खनिज रियायतें देने और उन पर सृजित राजस्व एकत्र करने का अधिकार है। खनन पट्टों से प्राप्त राजस्व राज्य सरकारों को प्राप्त होता है।

(ग) विस्थापित लोगों के पुनर्वास का विषय राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है।

(घ) से (छ) पिछले 5 वर्षों (2020-21 से आगे) के दौरान कुल 107 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में 7 पट्टे दिए गए हैं। गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पिछले 5 वर्षों में अनुसूचित क्षेत्रों में कोई खनन पट्टा नहीं दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त 7 पट्टे, सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने के पश्चात दिए गए हैं।

*****

अनुलग्नक-I

‘5वीं और 6वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों में जारी खनन पट्टे’ के संबंध में पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5224 के उत्तर में भाग 'क' एवं 'ख' में उल्लिखित अनुलग्नक

देश में 5वीं और 6वीं अनुसूची क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल राज्यों में प्रमुख खनिजों के कुल खनन पट्टों की संख्या के साथ कुल पट्टा क्षेत्र और प्रचालनरत खानों की राज्यवार संख्या

राज्य	कुल पट्टों की संख्या	कुल पट्टा क्षेत्र का योग (हेक्टेयर में)	प्रचालनरत/कार्यशील पट्टों की संख्या
आंध्र प्रदेश	27	657	10
असम	6	859	4
छत्तीसगढ़	78	16146	38
गुजरात	3	1108	2
झारखंड	31	4548	4
मध्य प्रदेश	153	6318	77
महाराष्ट्र	50	7102	33
मेघालय	23	825	15
ओडिशा	127	40023	79
राजस्थान	17	6715	14
तेलंगाना	15	1835	6
सकल योग	**530**	**86136**	**282**